न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 149/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 भैरूलाल पिता रामनाथ बलाई उम्र–वयस्क निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर

.... प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा ––––प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 20.04.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 08.09.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम डोई का खेडा पटवार मण्डल डेंलास तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 98 के आराजी संख्या 610/1359 रकबा 0.50 हैक्ट. प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी शुरूआत से अप्रार्थी भूमिधारी की ग्राम डेंलास स्थित बिलानाम आराजी संख्या 852 भूमि में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम आराजी संख्या 852 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 852 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 09.09.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। प्रार्थी के नियुक्त अधिवक्ता ने बहस एकपक्षीय में अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित कलमों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां से रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर ली गई।

उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलेक्टर
फुलिया कलॉं जिला-भीलवाड़ा

प्राथी अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने के पश्चात् न्यायालय नियमानुसार निष्कर्ष पर पहुंचा है :—

1. **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :— प्रार्थी के स्वयं के पास की खातेदारी भूमि खसरा नं. 610/1359 में आवागमन हेतु स्थायी विकल्प (रास्ते के रूप में दर्ज) मौजूद नहीं है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग भी मौजूद नहीं है एवं आवागमन हेतु राजकीय भूमि खसरा नं. 852 किस्म बंजर का इस्तेमाल किया जा रहा है।**

2. **तहसीलदार रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु सुगमतम एवं नजदीकी रास्ता है। अतः रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।**

अतः उपरोक्त विवेचन पश्चात् तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट, जिसमें ग्राम डेंलास स्थित विपक्षी राज्य पक्ष की बिलानाम आराजी संख्या 852 में से 0.0128 हैक्टे. (128 मीटर गुणा 4.572 मीटर/128 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। राज्य पक्ष को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल रकबा 0.0128 हैक्टे. यानि (128 मीटर गुणा 4.572 मीटर/128 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुरूप तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम डेंलास स्थित विपक्षी राज्य पक्ष के बिलानाम खसरा संख्या 852 में से 0.0128 हैक्टे. (128 मीटर गुणा 4.572 मीटर/128 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम डेंलास पटवार मण्डल डेंलास तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम खसरा संख्या 852 में से 4.572 मी. चौड़ाई का एवं 128 मी. लम्बाई का रास्ता राजस्व कार्मिकों यथा भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार रिपोर्ट में दर्शाए गए नजरी नक्शा अनुसार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार रेकार्ड में अमल—दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी राज्य पक्ष (आराजी संख्या 852 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0128 हैक्टेयर मालियत राशि की दौगुनी राशि 12,856/— रूपये (0.0128 हैक्टयर की) राजकोष को

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला—भीलवाड़ा

अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग समझी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलिया कलाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि-

1- तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलिया कलाँ जिला-भीलवाड़ा